

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/15/2017/19/यो/1499

भोपाल दिनांक 11/04/2018

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 167वीं बैठक में अनुमोदित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 167वीं बैठक जो दिनांक 05.01.2018 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	मुरैना	24-5054-0101-2457	ताजपुर बहादुरपुरा मार्ग	4.60	267.67
2	मुरैना	24-5054-0101-2457	दबोखरी से झुण्डपुरा मार्ग	3.70	166.71
3	मुरैना	24-5054-0101-2457	विशानोरी मार्ग से जलालपुर मार्ग	3.50	157.98
4	मुरैना	24-5054-0101-2457	मिलौआ से महदेवा मार्ग	5.60	297.37
5	मुरैना	24-5054-0101-2457	खिरी से बहरारा क्हाया सगोरिया मार्ग	5.80	276.53
6	मुरैना	24-5054-0101-2457	कुकरोली से बंधपुरा मार्ग	3.50	430.05
7	मुरैना	24-5054-0101-2457	चिन्नोनी करैया से रसोधना मार्ग	3.00	137.11
8	सीहोर	24-5054-0101-2457	वासुदेव से गोरखपुर मार्ग	2.20	148.38
9	सीहोर	24-5054-0101-2457	बीलपाटी से ढाया मार्ग	2.20	185.25
10	सीहोर	24-5054-0101-2457	मांशाखेड़ी से कोरकुटप्पर मार्ग	2.50	179.87
11	सीहोर	24-5054-0101-2457	जाजना से बाबरी मार्ग	4.20	482.73

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई! (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
12	सीहोर	24-5054- 0101-2457	मगरिया तीवड से वासुदेव मार्ग	4.80	300.42
13	सीहोर	24-5054- 0101-2457	बोरखेड़ी से चमेटी मार्ग	2.60	186.97
14	सीहोर	24-5054- 0101-2457	राला से चौच मार्ग	8.30	1378.51
15	सीहोर	24-5054- 0101-2457	कुमनताल से सुकरवास मार्ग	3.10	236.68
16	सीहोर	24-5054- 0101-2457	किशनपुर से मोहई मार्ग	5.00	352.60
17	सीहोर	24-5054- 0101-2457	सुकरवास से वासुदेव मार्ग	4.50	352.99
18	सीहोर	24-5054- 0101-2457	मण्डी से बालागांव पहुँच मार्ग शेष लंबाई	2.00	252.66
19	सीहोर	24-5054- 0101-2457	कुमनताल से सिरसोदिया मार्ग	4.00	394.20
20	सीहोर	24-5054- 0101-2457	मेन रोड से नीमटोन मार्ग	2.30	290.62
21	सीहोर	24-5054- 0101-2457	बन्होरी से सेमलवाड़ा मार्ग	2.00	295.72
22	सीहोर	24-5054- 0101-2457	बाया से बीबदा मार्ग	3.20	383.90
23	सीहोर	24-5054- 0101-2457	गौडी गुराडिया मेनरोड से मालीपुर तक मार्ग	1.20	156.54
24	सीहोर	24-5054- 0101-2457	मकोडिया मेन रोड से सतधारा मार्ग	2.50	256.07
25	सीहोर	24-5054- 0101-2457	रतनपुर स्थित वन विकारा निगम रोपड़ी से सावलखेड़ा होते हुए मर्दानपुर व्हाया रउगांव मार्ग	7.80	1204.97
26	सीहोर	24-5054- 0101-2457	मांजरकुई से मोगरा मार्ग	4.20	471.08
27	सीहोर	24-5054- 0101-2457	ग्राम जहाजपुरा नया तालाब से गधादेव तक मार्ग	6.20	902.87
28	सीहोर	24-5054- 0101-2457	ग्राम मुराह से पथोड़ा नर्मदा घाट मार्ग	3.00	352.64
29	सीहोर	24-5054- 0101-2457	मुख्य मार्ग जवाहरखेड़ा से हतनोरा मार्ग व्हाया सुडानिया का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण मार्ग	5.40	794.40



क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
30	नरसिंहपुर	24-5054- 0101-2457	रायपुर से डंगहा पापरा मार्ग	8.10	594.86
31	नरसिंहपुर	24-5054- 0101-2457	खला से प्रेमसर सेसाडाबर डोगराखो पटकुही मार्ग	8.20	579.25
32	नरसिंहपुर	24-5054- 0101-2457	नांदनेर से झांझनखेड़ा मार्ग	2.00	191.97
33	नरसिंहपुर	24-5054- 0101-2457	दहलवाड़ा से पिठवानी मार्ग	2.70	239.10
34	इंदौर	24-5054- 0101-2457	बरदरी से खण्डवा रोड़ पड़ाव से आश्रम शिवनगर पहुँच मार्ग	2.00	137.00
35	इंदौर	24-5054- 0101-2457	काकरिया से बिडवार पहुँच मार्ग	2.00	173.45
36	अशोकनगर	24-5054- 0101-2457	सेहरई से पठारी मार्ग	4.20	263.84
37	अशोकनगर	24-5054- 0101-2457	सेहरई से सिंगारदा मार्ग	2.10	119.07
38	अशोकनगर	24-5054- 0101-2457	सेहरई से डिमचोली मार्ग	2.20	118.94
39	अशोकनगर	24-5054- 0101-2457	खिरिया से बलक चक्क मार्ग	5.60	300.37
40	अशोकनगर	24-5054- 0101-2457	बरी से नरखेड़ा मार्ग	3.40	220.52
41	अशोकनगर	24-5054- 0101-2457	मिर्जापुर से टोरिया चक्क मार्ग	2.20	132.04
42	अशोकनगर	24-5054- 0101-2457	पिपरई मार्ग से भरौली व्हाया बक्सनपुर कुकरेटा मार्ग	3.50	205.03
43	नरसिंहपुर	24-5054- 0101-2457	चीचली से कोठिया मार्ग	3.15	335.14
44	नरसिंहपुर	24-5054- 0101-2457	ठेकापार से पीपरपानी मार्ग	3.80	356.88
45	झाबुआ	24-5054- 0420-2457- 0422	मेन रोड़ (मेघनगर पेटलावद) से झावलिया मार्ग	4.80	596.87
46	झाबुआ	24-5054- 0420-2457- 0422	करड़ावदा से चपल्दा मार्ग	4.72	618.65
47	झाबुआ	24-5054- 0420-2457- 0422	भूरीघाटी से टिमायची मार्ग	2.49	229.99



क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राशि (रु.लाख में)
48	झाबुआ	24-5054-0420 -2457-0422	कुम्भाखेड़ी से फाटा मार्ग	1.30	288.74
49	अशोकनगर	24-5054-0101 -2457	अशोकनगर विदिशा मार्ग से पिकअप वियर जानकी माता मंदिर व्ही.आई.पी. मार्ग	4.80	519.74

2/ परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता, कार्यों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये निर्माण कार्यों के समूह बनाकर ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही करें।


3/ उक्त कार्यों को मांग संख्या 24-5054-0101-2457 एवं 24-5054-0420-2457-0422 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताएँ पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

4/ उपरोक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

5/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र- 49 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


11.4.2018


(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव

म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग
भोपाल, दिनांक 11/4/18

पृ0क्रमांक एफ-43/15/2017/19/यो/1500
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (उत्तर परिक्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर।
 2. मुख्य अभियंता (राज. परिक्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
 3. मुख्य अभियंता (पश्चिम परिक्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, इंदौर।
 4. मुख्य अभियंता (मध्य परिक्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जबलपुर।
 5. निज सचिव, माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग भोपाल।
 6. रिकार्ड फाईल लोक निर्माण विभाग योजना शाखा मंत्रालय।
- की ओर सूचनार्थ (केवल सरल क्र. 5 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र- शून्य


सचिव 11.4.2018

म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

3/ उपरोक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जायें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-07 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

भोपाल दिनांक 16/02/2018

पृ0 कमाक एफ-43/15/2017/19/यो 695

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (उत्तर परि0) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर। रज. परि. भोपाल, उज्जैन।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
3. रिकार्ड फाईल लोक निर्माण विभाग योजना शाखा मंत्रालय।
की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 02 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग

निर्माण भवन प्लॉट न.27-28 प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल

web site: www.mppwd.gov.in email:se.pwdadminenc@mp.nic.in phone- 0755-2551316, fax 2556527

पृ.क्र...../योजना/प्रशासकीय स्वीकृति/संचार/17/733

भोपाल दिनांक 27/2/18

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र
- 2 अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल
- 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग
- 4 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
नार्वाड शाखा
- 5 बजट शाखा
- 6 श्री पी.कुमार कम्प्यूटर प्रोग्रामर (वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु)

सहपत्र:-

मुख्य अभियंता (यो/ब)

कार्यालय/ प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल

2045

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/15/2017/19/यो/1501
प्रति.

भोपाल दिनांक [] / 04 / 2018

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 167वीं बैठक में अनुमोदित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

-0--

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 167वीं बैठक जो दिनांक 05.01.2018 को प्रमुख सचिव 2000 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी. के अनुमोदन अनुसार कार्य की लागत 1.00 करोड़ से कम होने के कारण बजट पुस्तिका में प्रकाशित करवाना आवश्यक नहीं होने के कारण सीहोर जिले के अंतर्गत सुकरदास गांव में प्रोटेशन वाल का निर्माण हेतु लागत राशि ₹ 76.35 लाख (रु० छिहत्तर लाख पैंतीस हजार) मात्र से अधिक न हो की योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

- 2/ उक्त कार्य को मॉड संख्या 24-5054- 0101-2457 के अंतर्गत उपलब्ध घन राशि से संपन्न कराये जायें। कार्य हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतः पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जाये तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जायें।
- 3/ उपरोक्त कार्य हेतु राकम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निम्नलिखित आमंत्रित की जायें।
- 4/ उक्त स्वीकृत कार्य का वेबसाइट पर डाला जायें।

सहपत्र-01 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(धनप्रकाश/अध्यक्ष)

सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग

निर्माण भवन प्लॉट नं.27 28 प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल

web site: www.mppwa.gov.in email: 38.pwd@nic.in @ mppwa @ nic.in phone- 0755-2551315, fax 2559527

पू.क्र/ योजना / प्रशासकीय स्वीकृति / संवार / 17 / 1189

भोपाल दिनांक 25/4/18

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिसर ~~भोपाल~~
- 2 अनीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल
- 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभार ~~सीहोर~~
- 4 सीओ और सूचनायंत्र एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्भित।
- 5 कार्य शाखा
- 6 बजट शाखा
- 7 श्री पी.कुमार कम्प्यूटर प्रोग्रामर (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)

सहपत्र:-01

मुख्य अभियंता (यो/य)

कार्यालय / प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग ग.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/15/2017/19/यो 19/16
प्रति,

भोपाल दिनांक 08/05/2018

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- सीहोर जिले के अंतर्गत भठ्ठागांव हायर सेकेंड्री स्कूल के पास से नर्मदा घाट तक सीमेंट कांकीट रोड एवं नाली निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने बाबत।

--0--

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 167वीं बैठक जो दिनांक 05.01.2018 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में अनुमोदित सीहोर जिले के अंतर्गत भठ्ठागांव हायर सेकेंड्री स्कूल के पास से नर्मदा घाट तक सीमेंट कांकीट रोड एवं नाली निर्माण लंबाई 0.80 कि0मी0 हेतु जिसकी लागत राशि रू0 79.83 लाख (रू0 उनयासी लाख तिरासी हजार) मात्र से अधिक न हो की योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त कार्य को सींग संख्या 24-5054- 0101-2457 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जायें। कार्य हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताएँ पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जायें।

3/ उपरोक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जायें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-01 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

08.5.18

(आर0 के0 मेहरा)

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

भोपाल दिनांक 08/05/2018

पृ0 क्रमांक एफ-43/15/2017/19/यो 19/17
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (राज0 परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
3. रिकार्ड फाईल लोक निर्माण विभाग योजना शाखा मंत्रालय।

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 02 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य

सचिव 08.5.18

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

60028

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/15/2017/19/यो-1959
प्रति.

भोपाल दिनांक 15/05/2018

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 167वीं बैठक में अनुमोदित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने बाबत।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 167वीं बैठक जो दिनांक 05.01.2018 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	अशोकनगर	24-5054-0101-2457	गोरा से खिरसोरा मार्ग	2.20	120.18
2	राजगढ़	24-5054-0101-2457	सलेहपुर से कड़ियाहाट मार्ग	4.00	296.89
3	राजगढ़	24-5054-0101-2457	शमशेरपुरा से गंगाहोनी मार्ग	3.60	231.02
4	राजगढ़	24-5054-0101-2457	भगवतीपुर से मलावर मार्ग	4.60	360.43

उक्त कार्यों को मांग संख्या 24-5054-0101-2457 अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जायें। कार्यों हेतु प्राप्ता प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन धारणा है कि प्रारंभिक औपचारिकताएँ पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जाये, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रविधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

उपरोक्त कार्यों हेतु संक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जायें।

उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाये।

प्रमाण-04 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आरो के0 मेहरा) 15.5.18

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग



PA/15/05/2018

5/1/2/2018


P.R. 1135
15/5/18

पृ० क्रमांक एफ-43/15/2017/19/यो-1960
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 15/05/2018

1. मुख्य अभियंता (सुत्तर परि०) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
2. मुख्य अभियंता (राज० परि०) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
3. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
4. रिकार्ड फाईल लोक निर्माण विभाग योजना शाखा मंत्रालय।
की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 03 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य


सचिव 15/5/18
मोप्रश शासन लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग

निर्माण भवन प्लॉट न.27-28 प्रथम तल अरेश हिल्स भोपाल

web site: www.mpawd.gov.in email:se pwdadminenc@mp.nic.in phone- 0755 2551316, fax 2550527


पृ.क्र...../योजना/प्रशासकीय स्वीकृति/संवार/17/1594

भोपाल दिनांक 22/5/18

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र ग्वालियर/पत्र भोपाल
- 2 अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल
- 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संगम ~~भोपाल~~ ~~ग्वालियर~~
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 नार्वाड शाखा
- 5 धजट शाखा
- 6 श्री पी.कुमार कम्प्यूटर प्रोग्रामर (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)

सहपत्र:-0


मुख्य अभियंता (प्री) य
कार्यालय/ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग मप्र भोपाल